प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 873 / 2022

अनवान : –

1. इन्द्र कुमार सुथार पुत्र हजारीराम सुथार जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राधाकृष्ण पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हजारीराम पुत्र बनवारीलाल उर्फ बनवारी जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. गायत्री पुत्री हजारीराम पत्नी काशीराम जाति सुथार निवासी फेफाना हाल सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः 03.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 31 / 31 की कुल 2.2770है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 4 / 4 की कुल 0.7590है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा व रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 98 / 97 की कुल 2.9600है0 भूमि में से 1993 / 29850 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 2 / 2 की कुल 6.0720है0 भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 जो कि वादीगण की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझौता रोही मौजा 5 जेएसएन व रोही मौजा 6 केएनएन की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी को दे दी जिस पर वादी स0 1 काबिज है तथा रोही मौजा 5 ए बारानी व रोही मौजा 2 जेएसएन की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी स0 2 को दे दी जिस पर वादी स0 2 काबिज है एवं रोही मौजा 3 केएनएन की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने स्वयं अपने पास रख ली। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक समझौता वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल

आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी 5 जेएसएन, 6 केएनएन, 5 ए बारानी, 2 जेएसन, 3 केएनएन आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 का जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण समझौता अनुसार अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाना चाहते है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 31/31 की कुल 2.2770है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 4/4 की कुल 0.7590है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 98/97 की कुल 2.9600है0 भूमि में से 1993/29850 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 2/2 की कुल 6.0720है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता [illegible] सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि [illegible] अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्यत्र भूमि होना भी स्वीकार किया है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं

...दार (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 4/4 की कुल 0.7590है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 2/2 की कुल 6.0720है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 31/31 की कुल 2.2770है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 98/97 की कुल 2.9600है0 भूमि में से 1993/29850 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 873/2022

अनवान : –

1. इन्द्र कुमार सुथार पुत्र हजारीराम सुथार जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राधाकृष्ण पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हजारीराम पुत्र बनवारीलाल उर्फ बनवारी जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. गायत्री पुत्री हजारीराम पत्नी काशीराम जाति सुथार निवासी फेफाना हाल सोनड़ी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 873 सन 2022 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 4/4 की कुल 0.7590है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 2/2 की कुल 6.0720है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 31/31 की कुल 2.2770है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 98/97 की कुल 2.9600है0 भूमि में से 1993/29850 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested